भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3225

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समर्पित बैंक

3225. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सीधे ऋण देने के लिए समर्पित बैंक स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कुल कितने ऋण अंतराल का सामना करना पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सिडबी को एक पूर्ण प्रत्यक्ष ऋण देने वाले बैंक में परिवर्तित करने का है और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;

(घ) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएमई ऋणों का वर्तमान निर्दिष्ट प्रतिशत कितना है; और

(ड.) विगत पांच वर्षों के दौरान गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिए गए ऋणों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वर्तमान में, इस विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है|

(ख): श्री यूके सिन्हा की अध्यक्षता में वर्ष 2019 में एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में एमएसएमई क्षेत्र में ऋण अंतर 20-25 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विभिन्न पहल ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिनांक 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का एमएसएमई क्षेत्र को बकाया ऋण 18.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिनांक 31.3.2024 तक 31.70 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, सिडबी के पास दिनांक 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार 26,826 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष उधार पोर्टफोलियो है और वित्तीय वर्ष 2026-27 तक इसके बढ़कर 48,700 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(घ): जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 4.9.2020 के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार– लक्ष्य और वर्गीकरण (पीएसएल) पर मास्टर निदेश के संदर्भ में, एमएसएमई को सभी बैंक ऋण जो उसमें निर्धारित शर्तों के अनुरूप हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदण्डों के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 7.5 प्रतिशत अथवा तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ड.): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्ष के दौरान निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिए गए ऋणों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

एमएसएमई क्षेत्र को बकाया ऋण

(बकाया ऋण लाख करोड़ रुपए में)

बैंक समूह श्रेणी	**मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार**	**मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार**	**मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार**	**मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार**	**मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार**
निजी क्षेत्र के बैंक	6.57	7.40	9.39	11.94	14.78
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	9.45	10.01	9.84	10.72	11.74

स्रोत: आरबीआई

*****